न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 178 / 2024(GCMS : 2024/259)

1. **दयाराम** पुत्र श्री उमा राम जाति जाट निवासी सिदूवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री संदीप काकड़, उपखण्ड अधिकारी, राजस्व सूरतगढ़**
2. **मंजू देवी** पत्नी श्री महेन्द्र } अकवाम अग्रवाल निवासी गांव फेफाना
3. **महेन्द्र** पुत्र हनुमान प्रसाद } तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
4. **खनिज अभियन्ता** खान एवं भू–विभाग, सुदामानगर, श्रीगंगानगर
5. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ**
6. **उपपंजीयक, सूरतगढ़**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.08.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 आरटीए एक्ट विचाराधीन प्रकरण संख्या 207 / 2024 अनवानी दयाराम बनाम मन्जू वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 207 / 2024 अनवानी दयाराम बनाम मन्जू वगै. में अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 आरटीए एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर